एमसीएफ में लगी आग की जांच ठंडे बस्ते में, कर्दम गैंग को बचाने की पूरी तैयारी

मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को दस दिन का समय कार्रवाई के लिए दिया था, समय सीमा खत्म हो चुकी है

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद : एमसीएफ में 200 करोड़ के घोटाले को दफन करने की तैयारी जारी है। 16 अगस्त 2020 को एमसीएफ के एकाउंट विभाग में लगी इस आग में कई महत्वपूर्ण रेकॉर्ड जलाकर राख कर दिए गए थे। इसकी आड़ में कर्दम गैंग के अफसर और ठेकेदार पूरी तरह बचा लिए गए। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमसीएफ कमिश्नर से दस दिनों में कार्रवाई के लिए कहा था लेकिन दस दिन की समय सीमा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है और कमिश्नर भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

क्या है मामला

पिछले साल जुलाई में वॉर्ड नंबर 37 के पार्षद दीपक चौधरी ने 2017 से लेकर 2019 तक विकास कार्यों का ब्यौरा एमसीएफ के लेखा विभाग से मांगा था। उन्होंने सभी वॉर्डों में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा और ठेकेदारों को भुगतान किए गए पैसों की जानकारी मांगी थी। उन्हें ब्यौरा दे दिया गया। पार्षद ने उनकी पड़ताल के दौरान पाया कि उनके वॉर्ड में 27 ऐसे काम हुए हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान ठेकेदार को हुआ है। इसके बाद उन्होंने दूसरे पार्षदों से जानकारी मांगी तो पता चला कि 40 वॉर्ड में से 10 वॉर्ड ऐसे हैं जहां कोई काम नहीं हुआ लेकिन ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया है। ये रकम करीब 200 करोड़ रुपये तक जा पहुंची।

छानबीन से पता चला कि एक ठेकेदार को सिर्फ नालियों की मरम्मत, इंटरलॉकिंग

ये आग अब ठंडी हो चुकी है

टाइल बिछाने और स्लैब लगाने जैसे तीन कामों के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान रिकॉर्ड में दिखाया गया। यह सभी भुगतान जनरल फंड से किए गए। वहीं, उस वक्त निगम का जनरल फंड अकाउंट खाली पड़ा था। इनमें से कुछ कामों को तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जोड़कर कराया गया। दीपक चौधरी समेत कई पार्षदों ने इसकी शिकायत सीधे सीएम से कर दी। इसके बाद सारे घोटाले की जांच मंडलायुक्त संजय जून को सौंपी गई। अभी वो जांच कर ही रहे थे कि 16 अगस्त रविवार को एमसीएफ के लेखा विभाग में आग लग गई। इनमें वो सारे कागजात और ठेकेदारों को भुगतान के दस्तावेज जलकर राख हो गए। उस समय एमसीएफ कमिश्नर यश गर्ग थे जो इस समय गुड़गांव के डीसी हैं। यश गर्ग ने इस आग की भी जांच का आदेश दे दिया।

बचा लिया गया कर्दम गैंग को

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है और जांच रिपोर्ट में इसी बात पर जोर दिया गया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस मामले में चीफ इंजीनियर बी.के. कर्दम, रमन शर्मा, प्रेमराज एक्सईएन, जेई शेर सिंह और ठेकेदार सतबीर उर्फ कालू सीधे-सीधे फंस रहे थे। इन्हें एमसीएफ में कर्दम गैंग भी कहा जाता है। इनमें से ठेकेदार सतबीर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रियों का बहुत करीबी है। जेई शेर सिंह की हाल ही में मौत हो चुकी है।

इस मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चीफ इंजीनियर बी.के. कर्दम की सीधी शिकायत की गई। सीएम ने कर्दम को हटाने का आदेश दिया था और उनकी जगह ठाकुर लाल शर्मा को चीफ इंजीनियर बनाकर भेजा गया। लेकिन कर्दम अदालत से स्टे ले आए। कर्दम ने शर्मा से चार्ज भी ले लिया। इसके बाद शर्मा यहां से वापस चले गए लेकिन सीएम कर्दम की इस हरकत से नाराज हो गए। हाल ही में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बी.के. कर्दम को हार्टीकल्चर विभाग का चीफ इंजीनियर लगा दिया गया है जो एक तरह से साइडलाइन करना ही है लेकिन कर्दम एमसीएफ में रहकर खुद को तमाम आरोपों से बचने के लिए जो जुगाड़ करते रहे हैं, उसमें वो सफल हो गए हैं। 200 करोड़ के घोटाले में अभी तक कर्दम गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

कर्दम गैंग की पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंडलायुक्त संजय जून की जांच रिपोर्ट और उस कार्रवाई का अता-पता नहीं। एमसीएफ के लेखा विभाग में लगी आग की जांच न सिर्फ नगर निगम के अफसरों ने की बल्कि पुलिस ने भी की लेकिन उनका भी कोई पता नहीं। मुख्यमंत्री न चाहने के बावजूद कर्दम एमसीएफ में लगातार बने हुए हैं। बेशक वो हार्टीकल्चर विभाग में चले गए हैं लेकिन वहां से भी मैनेज करने में सक्षम हैं। इस तरह इतनी चुनौतियों के बीच कर्दम गैंग का बचा रहना, मामूली बात नहीं है।

इन घोटालों की जांच कहां गई

आउटडोर विज्ञापन पॉलिसी के तहत शहर में जगह-जगह यूनिपोल और गैनेट्री लगाने का कथित काम हुआ। शहर में पूरी तरह गैनेट्री लगी भी नहीं थी कि ठेकेदार को करीब 20 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया।

2018 में निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने प्लानिंग ब्रांच की कुछ फाइलों के गायब होने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसका भी जांच रिपोर्ट का आजतक कोई पता नहीं।

जनवरी 2019 में निगम के ओल्ड फरीदाबाद कार्यालय में डीजल घोटाला सामने आया। पता चला कि कर्मचारी निगम के जनरेटर का डीजल चुराकर खुले बाजार में बेच देते थे। इसमें भी जांच पूरी नहीं हो सकी। जनवरी 2020, महंगाई भत्ता शाखा में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा वकीलों की फीस अपने ही बैंक खाते में ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था। इसकी भी जांच का अता-पता नहीं है।

एमसीएफ नींद से जागा... अनखीर, अनंगपुर में बने फार्महाउसों की रिपोर्ट मांगी

पीएलपीए वाली जमीनों पर अवैध निर्माण गिराने की तैयारी

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: नगर निगम फरीदाबाद ने पीएलपीए (पंजाब भूमि संरक्षण कानून) 1900 के तहत अरावली में बसे अनंगपुर, अनखीर और मेवला महाराजपुर गांव में फार्म हाउस के नाम पर किए गए अवैध कब्जों पर कार्रवाई का फैसला किया है। इस संबंध में संबंधित जोन के सहायक अभियंताओं (एई) और कनिष्ठ अभियंताओं (जेई) बिल्डिंग से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है। फरीदाबाद के अरावली पहाड़ इलाके में बसे इन गांवों में कई अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं। ये फार्म हाउस या तो पीएलपीए वाली जमीन पर हैं या फिर वन विभाग की जमीन पर हैं। इनमें से पीएलपीए वाली जमीन पर बने अवैध फार्महाउसों पर एमसीएफ को कार्रवाई का अधिकार है।

मजदूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि हमने 31 जनवरी-6 फरवरी 2021 के अंक में फार्महाउसों के संबंध में खबर प्रकाशित की थी। जिसमें कहा गया था कि फरीदाबाद-गुड़गांव में सिर्फ नेताओं या मंत्रियों के ही नहीं बल्कि जजों और पुलिस अफसरों तक के फार्महाउस हैं। इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस संबंध में हरियाणा के चर्चित आईएएस अशोक खेमका ने राज्य सूचना आयोग से मांग की थी कि उन नामों को सार्वजनिक किया जाए, जिनके फार्महाउस हैं। उधर, इसी मामले में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अरावली में अवैध रूप से बनाए गए फार्महाउसों पर अलग-अलग आदेश समय-समय पर पारित किए हैं।

एमसीएफ ने पीएलपीए वाली जमीनों पर बने फार्महाउसों और अवैध कब्जों को लेकर अदालत में कोई विवाद खड़ा हो, उससे पहले ही अपने बचाव का रास्ता तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। एमसीएफ के सूत्रों ने बताया कि ज्वाइंट कमिश्नर ने इस सिलसिले में सभी एई और जेई से अवैध कब्जों को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई

व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं इन फार्म हाउसों में

होगी। हालांकि जिस तरह एमसीएफ बिल्डिंग विभाग के आला अफसरों और एई व जेई के संरक्षण में ये फार्महाउस बनाए गए हैं, उनकी सही रिपोर्ट आना बहुत मुश्किल है।

पीएलपीए वाली जमीन पर अनखीर गांव में ही 15 पक्के अवैध निर्माण हैं। अनखीर में 10 फीसदी जमीन पीएलपीए की है। अनंगपुर गांव में भी 15 से ज्यादा पक्के अवैध निर्माण हैं। मेवला महाराजपुर गांव में करीब दो दर्जन अवैध निर्माण पीएलपीए जमीन पर हैं। अनखीर और अनंगपुर की इन जमीनों पर ही फार्महाउस बने हुए हैं, जिनका व्यावसायिक इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। कुछ में शादियां और अन्य कार्यक्रम होते हैं। कुछ में क्रिकेट और अन्य खेलों की अकादमी चलती हैं और दो-तीन फार्महाउस नशीले पदार्थों के सेवन से लेकर अनैतिक गतिविधियों के लिए बदनाम हैं।

सोहना में तोड़फोड़, फरीदाबाद में चुप्पी

नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिसम्बर 2020 के एक फैसले पर कार्रवाई करते हुए सोहना म्यूनिस्पल काउंसिल ने अरावली इलाके में 10 अवैध निर्माणों को बुधवार 17 फरवरी को गिरा दिया। ये कार्रवाई रायसीना गांव में की गई। एनजीटी ने दिसम्बर 2020 को दिए गए अपने फैसले में कहा था कि फरीदाबाद और गुड़गांव में अरावली इलाके में हुए अवैध निर्माणों को 31 जनवरी तक गिरा दिया जाए। इस पर सोहना में तो कार्रवाई हो गई लेकिन फरीदाबाद में अरावली इलाके में अवैध निर्माण गिराने के नाम पर सिर्फ गरीब मजदूरों की बस्तियां उजाड़ी गईं लेकिन फार्महाउसों को छोड़ दिया गया।

बता दें कि अरावली इलाके में तमाम गैरमुमकिन पहाड़ को गैरमुमकिन फार्महाउस में बदल दिया गया। तहसील के पटवारियों ने मोटी रिश्वत लेकर इन्हें गैरमुमकिन फार्महाउस में बदला था। जब यह मामला खुला तो डीसी गुड़गांव ने 11 जून 2020 को राजस्व रेकॉर्ड से गैरमुमकिन फार्महाउस को गैरमुमकिन पहाड़ में बदलने का आदेश जारी कर दिया। अब ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। एनजीटी ने कहा है कि अगर संबंधित अथॉरिटी ऐसे निर्माणों को जब तक वैध नहीं करती है, तब तक ये अवैध ही रहेंगे और इस तरह इन पर कार्रवाई जरूरी है।

खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

गृहमंत्री अनिल विज- खुद मियां फ़जीहत औरों को नसीहत

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी ज़िलों को चिट्ठी लिख कर कहा कि पुलिस चौकी-थानों में कोई धार्मिक स्थल स्थापित न किये जायें। उन्होंने इस बारे में सभी ज़िलों से रिपोर्ट भी मांगी है। इस पर गृहमंत्री अनिल विज ने डीजीपी को पूछा है कि उन्होंने किस आधार पर ये फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के नीतिगत फैसलों में सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। और ये भी कहा कि सेना की यूनिटों में भी मंदिर और गुरूद्वारे होते हैं।

मंत्री जी को शायद ये नहीं पता कि सेना के परिसर अपने आप में एक शहर होते हैं-उनमें घर, ऑफ़िस, दुकानें सब बनाये जाते हैं। एक शहर में मन्दिर-मस्जिद हो सकते हैं पर एक कार्यालय (चाहे वो सेना का हो या पुलिस का) उसमें नहीं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है इसलिये डीजीपी का आदेश पूरी तरह संवैधानिक है और उसमें नीतिगत फ़ैसला कुछ नहीं है। असल बात यह है कि विज के पास दो मंत्रालय है-गृह व स्वास्थ्य। और दोनों में बुरे हाल हैं। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि रोहतक में दिनदहाड़े पांच लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है तो दूसरी तरफ़ पांच मेडिकल कॉलेजों के होते हुये खुद मंत्री जी इलाज के लिये प्राइवेट हस्पताल में भरती होते हैं। पर ये कभी डीजीपी को कड़ी चिट्ठी लिखते हैं तो कभी दिशा रवि की गिरफ़्तारी पर ट्वीट करते हैं। खुद के विभागों की फ़जीहत हुयी पड़ी है और ये नसीहत देते फ़िर रहे हैं।

'यूजीसी'- विज्ञान नहीं गौमाता बनायेगी विश्वगुरू

भारत में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी यूनिवर्सिटीज के वीसी को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने छात्रों को इस महीने 25 तारीख को होनेवाली 'स्वदेशी गाय विज्ञान' परीक्षा में बैठने के लिये प्रोत्साहित करें। यूजीसी के सेक्रेटरी रजनीश जैन द्वारा 12 फ़रवरी को लिखे अपने पत्र में इसे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि यह परीक्षा भारत सरकार के एक मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाला 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' करवा रहा है। परीक्षा ऑनलाइन होगी और मुफ़्त होगी।

परीक्षा के लिये कामधेनु आयोग द्वारा उपलब्ध पाठ्य सामग्री में देसी गाय को एक दिव्य पशु बताया गया है जिसके चेहरे से मासूमियत, आंखों से शान्ति और कानों से बुद्धिमता झलकती है। इसके समर्थन में वेदों के कुछ श्लोक भी दिये गये हैं। इससे पहले इस पाठ्य सामग्री में यह भी दावा शामिल था कि गाय के गोबर का इस्तेमाल भारत और रूस में परमाणु हमले से बचाव में किया जाता है और भोपाल गैस लीक में गाय के कारण लोगों की सुरक्षा हुई तथा गाय की हत्या से भूकंप आते हैं। हालांकि ज्यादा हो हल्ला होने पर इन दावों को अंग्रेजी और हिन्दी की पाठ्य सामगी से तो हटा दिया गया लेकिन तमिल और मलयालम आदि क्षेत्रीय भाषाओं में यह अभी भी उपलब्ध है। अब भारत को विश्वगुरू होने से कोई नहीं रोक सकता-क्योंकि हमारे पास गौमाता है वो भी देसी।

कश्मीर पर विदेशी राजनयिकों की मुहर

24 देशों के राजनयिकों की कश्मीर यात्रा बुधवार को शुरू हुई। धारा 370 हटाने के बाद यह दूसरा मौका है जब अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के लिये भारत सरकार विदेशी राजनयिकों उर्फ़ राजनीतिज्ञों को भारत के संवेदनशील हिस्से-कश्मीर घाटी की सैर करवा रही है। इस समूह में अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जर्मनी आदि के प्रतिनिधि शामिल नहीं हैं। ज्यादातर प्रतिनिधि छोटे देशों से है जैसे-ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, एस्टोनिया, बोलिविया, मालावी, आइवरी कोस्ट। जाहिर है इनको सरकारी सुरक्षा में वहां ले जाया गया है तो इनको सरकारी चश्मे से ही चीज़ों को दिखाया जायेगा। इनको अपनी मर्जी से घाटी में कहीं भी जाने या किसी व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं ही होगी।

यह दिखाता है कि दूसरे देशों को हमारे अन्दरूनी मामलों में न बोलने की रोज सलाह देने वाली मोदी सरकार खुद कश्मीर के मामले में उनसे सर्टिफ़िकेट पाने को कितनी बेताब है। कश्मीर समस्या के अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने पर रोज कांग्रेस को कोसने वाले खुद विदेशियों को पंचायती बनाकर वहां घुमा रहे हैं।

अन्तिम मिसरा

मीडिया कह रही थी कि पंजाब के किसान वापिस जा रहे हैं
वो तो पंजाब में भाजपा की जमानत जब्त करवाने गये थे!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06